

सूचना मागकर्ताके द्वातिर सहयोगी पुस्तिका



राष्ट्रीय सूचना आयोग



सूचना मागकर्ताके एवातिए सहयोगी पुस्तिका

राष्ट्रीय सूचना आयोग

पुस्तक कै नांवः सूचना मागकर्ताके खातिर सहयोगी पुस्तिका
सम्पादनः रत्नप्रसाद मैनाली, सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
प्रकाशकः राष्ट्रिय सूचना आयोग
अनुवाद, डिजाइन, लेआउटः पब्लिक अफेर्स रिसर्च एण्ड कम्युनिकेसन्स
(PARC) / आलोक तिवारी
सर्वाधिकारः राष्ट्रिय सूचना आयोगमे सुरक्षित
पहिला संस्करणः बैशाख २०८१

राष्ट्रिय सूचना आयोग
सूचना आयोग भवन, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
फोनः ०१-४५९६५४४, फैक्सः ०१-४५९६५४५
वेबसाइटः nic.gov.np
ईमेलः info@nic.gov.np
ISBN Number: 9789937970242

राष्ट्रिय सूचना आयोग औ युएसएआईडी नेपालके सहकार्य मे प्रकाशित। यहि प्रकाशनके भितरकै विषयवस्तु औ सामग्री राष्ट्रिय सूचना आयोगकै एकल जिम्मेदारी होय औ यी अमरिकी सरकार,
युएसएआईडी या द एशिया फाउण्डेशनकै विचार प्रतिविम्बित करत है यी जरुरी नाइ है।



अमेरिको जनताबाट



आयोगकै कहब

सूचना माग करैवाले औ प्राप्त करैवाले नागरिकके अधिकारकै नेपालके संविधानमे मौलिक हककै रूपमे स्वीकार किहागवा है। संविधानके धारा २७ में व्यवस्था किहेगये सूचनाके हककै सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मार्फत् आउर व्यवस्थित किहा गै है। सूचनाकै हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी भवा है औ सूचनाकै हककै कार्यान्वयनके खातिर नियामक निकायके रूपमें वि.सं. २०६५ सालमे राष्ट्रिय सूचना आयोगकै गठन होइकै आयोग, संविधान औ कानुनसे निर्देशित किहे बमोजिम आपन दायित्व निर्बाह करतै आवा है।

आयोगकै मुख्य जिम्मेदारी सूचना माग करैवाले औ प्राप्तकरैवाले नागरिकके अधिकारकै सुनिश्चितता करब होय। सार्वजनिक निकायमें रहे व्यक्तिगत या सार्वजनिक सरोकारके विषयमें नागरिकसे माग किहेगये सूचना वहि निकायकै सूचना अधिकारी औ कार्यालय प्रमुखसे उपलब्ध न करवायेके अवस्थामें आयोगमें पुनरावेदन करैक मिलैक कानुनी व्यवस्था सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ में है। अइसन प्राप्त पुनरावेदनउपर उपयुक्त आदेश दइकै संविधानप्रदत्त सूचना माग करैवाले औ प्राप्त करैवाले नागरिककै अधिकारका सुनिश्चित करब आयोगकै प्राथमिक दायित्व होय।

कानुनसे पुनरावेदन उपर सुनुवाइके साथय सूचनाकै हकसम्बन्धी प्रबद्धनात्मक कामकै जिम्मेदारी भी आयोगका दिहागवा है। संविधान औ कानुनमें व्यवस्था किहेगएके डेढ दशक वितैकेबाद भी सूचनाकै हक जइसन महत्वपूर्ण अधिकारके बारमें आमनागरिकमें पर्याप्त जानकारी नाही है। यहिबारेमें आयोग विभिन्न प्रवद्धनात्मक कार्य करतै आयेपर भी नागरिकके तहतक जौने हिसावसे पहुचावैक चाही वहि ढड्गसे नपहुचाय सकैक कडुसत्य वास्तविकता होय। तथापि, आयोग यहितरफ सकभर प्रयास करतै आवा है। यहिका नागरिक तहतक पहुचावैम राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक निकाय औ सरोकारवाले संस्थाकै प्रतिबद्धता आउरजादा आवश्यक परत है।

नेपालके संविधानकै धारा ७ के उपधारा १ में देवनागरी लिपीमें लिखेजायवाले नेपाली भाषा नेपालकै सरकारी कामकाजकै भाषा होय कहागै है । वैसै उपधारा २ में नेपाली भाषाके अलावा प्रदेश अपने प्रदेशभितर बहुसंख्यक जनताकै बोलयवाला एक या एकके जादा अन्य राष्ट्रभाषा प्रदेशके कानुनबमोजिम प्रदेशकै सरकारी कामकाजकै भाषा निर्धारण कै सकत है कहागै है । सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ४ कै उपदफा ३ में, 'सार्वजनिक निकाय उपदफा २ के खण्ड (क) बमोजिमकै सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन या प्रसारण करतकै विभिन्न राष्ट्रिय भाषा औ आमसञ्चारके माध्यमसे कैसकत है' कहागै है । नेपालकै संविधान औ कानुनमें किहे गये वहि व्यवस्थाका मध्यनजर करतै सूचनाके हककै कानुनी प्रावधान औ प्रचलनबारे अवधीभाषी नागरिकका भी जानकारी पहुचै यहि उद्देश्यसे आयोग यी सहयोगी पुस्तिका अवधी भाषामें प्रकाशन किहे है । सरकार राष्ट्रिय भाषनका कार्यालय सञ्चालनके खातिर नतोकेके अवस्थामें सूचना माग करत, उजुरी करत औ पुनरावेदन करतकै नेपाली भाषा ही प्रयोग करैक आयोग सबमें आग्रह करत है ।

सार्वजनिक निकायका सुशासनयुक्त, पारदर्शी औ उत्तरदायी बनावै खातिर नागरिक जागरुकता अनिवार्य होत है । सूचना माग करैक औ प्राप्त करैक मिलत है यकर संवैधानिक औ कानुनी व्यवस्थाके बारेम आमनागरिककै जानकारी नदइकै यी सम्भव नाय है । यही सन्दर्भमें सूचनाकै हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाके बारेम नागरिककै जानकारी देयके खातिर यी हाथेपुस्तिका तैयार किहा गवा है ।

यी पुस्तिका तैयार करैम आयोगका द एसिया फाउण्डेशन औ नेशनल डेमोक्रेटिक इस्टन्टच्युट, नेपालसे महत्वपूर्ण सहयोग मिला है । यहि संस्था प्रति आभार व्यक्त करतै आयोग धन्यवाद ज्ञापन करत है ।

पुस्तिका प्रकाशन करैके क्रममें रहे होयसकैवाले कमी, कमजोरी औ त्रुटीका सच्चावैक आपलोगनकै सुभाव या जानकारी प्राप्त भयेपर आगामी संस्करणमें सच्चावैक आयोग सहर्ष तत्पर होयकै जानकारी करावा जात है ।

बैशाख २०८१

राष्ट्रिय सूचना आयोग

विषय प्रवेश

नेपालकै संविधानके धारा २७ में प्रत्येक नागरिकका आपन या सार्वजनिक सरोकारकै कौनव भी विषयकै सूचना मागैक औ पावैक हक होई कैकय व्यवस्था है। यी नागरिककै मौलिक हक होय।

अइसन सूचना मागैक औ पावैक हकके भितर सूचना प्रवाहकै हक भी परत है। यका प्रचलित कानून, अभ्यास औ विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र समेतसे पुष्टि किहा है। तसर्थ, आमनेपाली नागरिकमें सूचना मागैक, पावैक औ प्रवाह करैक हक स्थापित होयकेनाते अनुसन्धानकर्ता, सञ्चारकर्मी लगायत सूचना आवश्यक होयबाले नागरिकका सक्रिय होयक परी।

कानूनी व्यवस्था

नेपालकै संविधानके धारा २७ में व्यवस्था किहेगये मौलिक हककै प्रचलनके खातिर संविधानके धारा ४६ में संवैधानिक उपचारके हककै व्यवस्था है। यहि अनुसार सूचना प्राप्त करै खातिर कौनो भी नागरिक रिटके माध्यमसे अदालत जाय सकत है।

सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐनके दफा ११ में नागरिकके सूचनाकै हककै संरक्षण, सम्बद्धन औ प्रचलन करावै खातिर एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहैक कानूनी व्यवस्था है। कानून द्वारा व्यवस्था किहे बमोजिम आयोग २०६५ सालमें स्थापना भवा है।

आयोगकै मुख्य जिम्मेदारियै नागरिककै सूचना दिलाइब होय । कौनो भी सार्वजनिक निकायमें रहे व्यक्तिगत या सार्वजनिक सरोकारके विषयकै सूचना प्राप्त करैचाहयवाले नागरिकका सूचना नदेयवाले सम्बन्धित निकायकै पदाधिकारीविरुद्ध आयोगमें पुनरावेदन देयक परत है। अइसन पुनरावेदन प्राप्त होयकेबाद कानूनी प्रक्रिया पूरा कैक्य आयोग नागरिककै सूचना मागैक औ पावैक हककै प्रत्याभूति करत है।

सूचनाकै हक कै कानूनी प्रत्याभूति

सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ नागरिककै सूचना मागैक औ पावैक हकके सम्बन्धमें कुछ अपवादके बाहेकै सूचना प्राप्त होयक प्रत्याभूतिके खातिर निम्नलिखित दुइठु कानूनी प्रावधानकै व्यवस्था करें है :

- सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐनके दफा ३ के उपदफा (२) में प्रत्येक नेपाली नागरिककै सार्वजनिक निकायमें रहें सूचनामें पहुँच होई कहागवा है।
- ऐनके दफा ४ के उपदफा (१) में प्रत्येक सार्वजनिक निकाय, नागरिककै सूचनाकै हककै सम्मान औ संरक्षण करैक/ करावैक परी यी कानूनी व्यवस्था किहा है।

कानूनमें भये यहि व्यवस्था बमोजिम -

- राष्ट्रिय सूचना आयोगके आदेश औ अदालतकै फैसलाकेबाद आमविद्यार्थीकै आपन उत्तरपुस्तिका देखैक पावैकै मान्यता

स्थापित भवा है। सूचना माग करतकै उत्तरपुस्तिकौ देखयक मिलत है? कहिकै आश्चर्य प्रकट किहे गयेपर हाल अइसन व्यवस्थासे उत्तरपुस्तिकै परीक्षण करैवालेनका आउर जिम्मेदार होयम मदत किहे है।

- आउर कैयौं पुनरावेदनमें आयोग सरकारी निकाय, संबैधानिक निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, निजी क्षेत्रकै बैंक औ वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था औ उपभोक्ता समितिके नाममें सूचना देव कैक्य आदेश जारी किहे है। आयोगके आदेशपश्चात नागरिकद्वारा माग किहे सूचना समेत प्राप्त कैक्य ईकुलि निकाय सूचनाकै हकके दायराके भितर होयकै प्रष्ट सन्देश प्रवाह भवा है। तसर्थ, यी निकाययन में रहे व्यक्तिगत औ सार्वजनिक सरोकारके विषयकै सूचना मागि औ पाय सका जात है।

सूचनाकै हककै विश्व इतिहास

सन् १७६६ में पहिलबार स्वीडेनमें सूचनाकै हकसम्बन्धी कानून जारी भवा है। वकरेबाद सन् १९५१ में फिनल्याण्ड, सन् १९६६ में संयुक्त राज्य अमेरिकामें औ सन् १९७० में डेनमार्क औ नर्वेमें यी कानून जारी भवा। हाल विश्वकै करिब १सौ ३६ से जादा मुलुकमें यी कानून जारी भवा है।

सूचनाकै हककै दक्षिण एसियाकै विकासक्रम

सन् २००२ में पाकिस्तानके पञ्जाब औ केपी प्रदेशमें सूचनाकै हकसम्बन्धी कानून जारी भवा। तत्पश्चात सन् २००५ में भारतमें, सन् २००७ में नेपालमें, सन् २००९ में बंगलादेशमें, सन् २०१४ में अफगानिस्तान औ माल्डिभ्समें औ सन् २०१६ में श्रीलङ्कामें यी कानून जारी भवा। श्रीलङ्कामें सूचना देयमें अटेर करैवाले पदाधिकारीका दुई सालतक कारावासकै सजा होयकै कानूनी व्यवस्था है।

राष्ट्रिय सूचना आयोगकै गठन

नेपालकै अन्तरिम संविधानके धारा २७ में भये संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २०६४ सालमें सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐन औ २०६५ सालमें नियमावली जारी भवा है। यहि ऐनके प्रावधान बमोजिम २०६५ सालमें राष्ट्रिय सूचना आयोगकै गठन भवा है।

सूचना मागब औं तत्कालै पाइब

हरेक नागरिक सम्बन्धित कार्यालयकै सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग कैकय निवेदन देयक परत है। अईसन सूचना माग करैक्बाद सूचना अधिकारी तत्कालै सूचना उपलब्ध करावैक कानूनी व्यवस्था है।

सामान्यतया अइसन सूचना लिखितरूपमें माग करैक परत है। साथय, सूचना माग करतकै अपनेकै कौनेविषयमें कवन सूचना चाहत है औ

वकर प्रयोजन का होय यमहा सूचना मागैवालेका यकीन होयकपरत हैं। अईसन होयकेबाद सूचना अधिकारीकै तत्काल सूचना देयमें सहज होत है। यकै निवेदनमें जादा विषय औ बुँदा उल्लेख कैक्य सूचना माग करतकै अपनेवका प्रयोजन खोलावैम असहज परि सकत है औ सूचना देयवालेका भी असुविधा होय सकत है। यहिनाते सूचना मागकर्ता कवने विषयमें सूचना मागकरै चाहेहै यी विषयमें स्पष्ट होयक चाही ।

डाकखानाके माध्यमसे औ फैक्स, इमेल लगायतकै विद्युतीय माध्यमसे भी सूचना माग कैसका औ प्राप्त कैसका जात है लकिन सकभर सूचना अधिकारीसमक्ष उपस्थित होइकै निवेदन देतकै बढिया होत है। सूचना माग करैक बाद मिली, यहि विश्वासके साथ सार्वजनिक निकायमें सूचना मागकरै जायक चाही । काहेनाते सूचना माग करब औ प्राप्त करब प्रत्येक नेपाली नागरिककै संवैधानिक मौलिक हक होय ।

अइसै जवने भी माध्यमसे सूचना माग करेभी सूचना मागकर्ता नेपाली नागरिक होयकै कौनौ प्रमाण -जैसै-नेपाली नागरिकताकै प्रतिलिपी या अइसै आउर कुछ प्रमाण) संलग्न करैक परी । काहेसे हम्मनके संविधान सार्वजनिक निकायमें रहे सूचना माग करैक अधिकार खाली नेपाली नागरिककै प्रदान किहे है ।

लिखित रूपमें सूचना मागब औ कहेगये समयमें सूचना हासिल करब हरेक नागरिकका सूचना माग करतकै लिखित निवेदन दर्ता करावैक परत है। अइसन दर्ता किहेगये निवेदनकै निस्सा लेयक चाही। साथय, सूचना अधिकारीकै सम्पर्क नम्बर भी लेयक चाही। सूचना मागकै निवेदन देयकबाद सूचना अधिकारीका कवन दिन सूचना उपलब्ध होई कहिकै पुछैक चाही। सूचनाके हकसम्बन्धी कानूनमें सूचना माग होयकेबाद तत्काल उपलब्ध करावैक व्यवस्था किहागै है। तथापि, माग भवा सूचना सद्कलन करैवाला है तौ सूचना अधिकारी जादासेजादा १५ दिनके भित्तर मागकर्ताकै सूचना उपलब्ध करावैक चाही।

लकिन, जिउजानके सुरक्षासे सम्बन्धित सूचना तौ २४ घण्टा के भित्तर उपलब्ध करावैक कानूनी व्यवस्था है। यकरे खातिर निवेदनमें भी उहे व्यहोरा उल्लेख कैकय सूचनाकै अधिकारकै जानकारी करावैक परी। यहिमेर सूचना अधिकारीसे सूचना मागेकै बोधार्थ तततत् कार्यालयके प्रमुख औ राष्ट्रिय सूचना आयोगका देयकै कानूनी व्यवस्था नाय है। बकिर ईच्छुक नागरिक अइसन बोधार्थ निवेदनद्वारा अपनेसे सूचना माग किहेकै व्यहोरा भविष्यमें उजुरी या पुनरावेदन करैकपरैवाले निकायका सजग करावै खातिर दैसका जात है।

सूचना अधिकारी सूचना नदिहेपर उजुरी करै

सामान्यतः अपनेद्वारा माग किहेगये सूचना, सूचना अधिकारी १५ दिनके भित्तर नदिहेपर वही कार्यालयकै प्रमुखसमक्ष उजुरी करैक

चाही। अइसन उजुरी लिखित रूपमें डाकखाना, फैक्स या इमेलमार्फत् भी पठाय सका जात है। आपनहि उपस्थित होइकै लिखित उजुरी किहेके अवस्थामें उजुरी दर्ता किहेकै निस्सा लेयकचाही।

अइसन उजुरी करतकै दुईदू बातिकै माग दावी करैक परत है। पहिला-सूचना न देयबाले सूचना अधिकारीका कारवाई करैक पाई। दुसर हमरेद्वारा माग किहा सूचना पाई। अइसन उजुरी, सूचना अधिकारी सूचना देयसे इन्कार किहेकै पत्र दिहेपर या आंशिक सूचना दिहेपर या सूचना नदइकै १५ दिन गुजारेके मितिसे सातदिनके भितर करैक चाही। सामान्यतः अइसन उजुरी परैकेबाद सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख ७ दिनके भितर सूचना उपलब्ध करावैक कानूनी व्यवस्था है।

आयोगमें पुनरावेदन करतकै सूचना माग किहा सूचना अधिकारीसमक्ष दिहे निवेदन, कार्यालय प्रमुखसमक्ष किहेगये उजुरी औ नेपाली नागरिक होयकै पुष्टि करैवाला प्रमाण भी संलग्न करैक परी।

सार्वजनिक मामिलाके विषयमें सूचना मागैकेबाद सूचना मिलि भी सकत है औ बहुतसे अवस्थामें नहियव मिलि सकत है। अइसन सूचना माग करतकै सार्वजनिक निकायके पदाधिकारीकै गलत काम करैसे रोकि सका जात है। काहेसे कौनौ विषयमें निर्णय करतकै सार्वजनिक निकायकै पदाधिकारी बिहान नागरिक यहि विषयमें सूचनाकै हककै प्रयोग कैक्य सूचना माग कहिस तौ वहि विषयकै सूचना देयक परी कैक्य सोचैक बाध्य होइहै।

कार्यालय प्रमुख भी सूचना नदिहेपर पुनरावेदन करै

सूचना माग करैवाले नागरिककै कब्बौ भी हार नाय मानैक चाहीं । तसर्थ, सूचना अधिकारी औ कार्यालय प्रमुख दुनौ सूचना नदिहे पर राष्ट्रिय सूचना आयोगमें पुनरावेदन करैक परी । अइसन पुनरावेदन करतकै पहिले, सूचना अधिकारी १५ दिनभितरमें सूचना नदिहे या वसे पहिले गलत या आंशिक सूचना दिहेपर या सूचना नदैसकैक कहिकै कौनो लिखित दिहेकै अवस्था होयक चाही । दुसर, कार्यालय प्रमुखसे किहेगये उजुरीमें भी निजद्वारा सूचना देयक ७ दिनकै म्याद गुजारे है या सूचना देयसे इन्कार करा पत्र दिहेके मितिसे ३५ दिनके भित्तर राष्ट्रिय सूचना आयोगमें तोकेगये ढाँचामें पुनरावेदन करैक परी ।

यहिमेर आयोगमें पुनरावेदन करतकै कौनो दस्तुर नाही लागत है । पुनरावेदनमें डाकटिकट भी नाय लगावैक परी।

यतना मेहनत करैकबाद का कैसन सूचना मिलत है ? यी जिज्ञासा होइ सकत है । उदाहरणके खातिर राष्ट्रिय सूचना आयोगके आदेशकेबाद लगानी बोर्ड औ जिएमआर के बीचेम भए अपर कर्णाली जल विद्युत आयोजनाकै पीडीए सम्झौता, नेपाल औ भारत सरकारबीचकै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाकै विधान औ नेपाल औ चीनके बीचेम सम्पन्न चिनियाँ हवाई जहाज खरिद औ अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्र समेतकै सूचना मागकर्ता पाये है । यहिसे द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौताके दस्तावेजमें नागरिककै पहुँच कायम भवा है ।

यकरे अलावा, नलसिंडगाड जलविद्युत आयोजनाके परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्पौता पत्र लगायतकै कागजात भी आयोगके पहलमें सूचना मागकर्ता नागरिक पाये है। यसे दातृ निकायकै सूचनामें भी नागरिककै हक स्थापित भवा है। यी सब दृष्टान्तसे सूचनाकै हककै तागत प्रष्ट होतहै।

पुनरावेदनउपर कइसै कारवाई होत है ?

राष्ट्रिय सूचना आयोगमें पुनरावेदन करतकै अपने सूचना अधिकारीसे सूचना माग किहे औ कार्यालय प्रमुखसे उजुरी किहा प्रमाण साथमें पेशकरैक परी। अइसन आयोगसमक्ष परे पुनरावेदनमें आयोग समयसीमा तोकिकै निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावो कहिकै समेत आदेश जारी कै सकत है। आयोग अधिकतम् ६० दिनके भितर यहिबारेमें निर्णय सुनावत है। साथय, आयोगका पुनरावेदन निरर्थक लागेपर खारेज भी कै सकत है।

आयोग अपने समक्षपरे पुनरावेदनकै कारवाई औ किनारा लगावैम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायकै प्रमुख या सूचना अधिकारीसे बयान लै सकत है या कौनो लिखत पेश करैक लगाय सकत है। वहि सम्बन्धमें साक्षी प्रमाण भी बुझिसकत है। आयोगमें पक्ष, विपक्ष, निजकै प्रतिनिधि या सम्बन्धित कानूनव्यवसायीकै उपस्थित कराय सकत है। यकरे खातिर आयोगमें रहे इजलासमें बहस-पैरवी होइ सकत है। यहिमेर, आयोग अदालती प्रक्रिया अनुसार आपन फैसला सुनावत है।

सूचना देयमें अटेर करैवालेका सजाय

राष्ट्रिय सूचना आयोगमें पुनरावेदन परैकेबाद आयोग आवश्यक प्रक्रिया पूरा कैक्य सूचना देव कहिकै आदेश करत है। अइसन आयोगसे जारी भवा आदेशकै अटेर कैक्य सूचना नदेयवाले पदाधिकारीका आयोग एक हजारसे २५ हजार रुपयातक जरिवाना कै सकत है।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीके हकमें आयोग विभागीय कारवाहीके खातिर समेत लिखिकै पठाय सकत है। नागरिकसे माग किहेगये सूचना समयमें नदइकै देरसे सूचना देयवाले पदाधिकारीकै आयोग प्रतिदिन दुईसौकै रेटसे जरिवाना कै सकत है।

यकरेअलावा यदि केहु आयोगके आदेशकै पालन नकरेपर आउर दशहजार तक सजाय कैसकत है।

अइसै, सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन नागरिकके सूचनाकै हककै संरक्षण, सम्बद्धन औ प्रचलन करैक करावै खातिर गठित आयोगकै दण्ड करैक तक कानूनी अधिकार दिहा है। नागरिकसे माग किहेगये सूचना देव कहिकै आयोगके आदेशकै अटेर करैवाले सार्वजनिक निकायकै करिब चारदर्जन पदाधिकारी आयोगद्वारा दण्डत भये है। अइसन सजाय पावैवालेमें विद्यार्थीकै उत्तरपुस्तिका देयमें अटेर करैवाले, विद्यालयसे सम्बन्धित सूचना देयमें आनाकानी करैवाले, विश्वविद्यालयके परीक्षासे सम्बन्धित परीक्षार्थीकै सूचना नदेयवाले, सार्वजनिक निर्माणकै सूचना

देयक नमानैवाले, नागरिकसे माग किहा सूचना नदेयवाले निजी क्षेत्रसे सञ्चालित बैंक औ वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, उपभोक्ता समिति, स्थानीय तहके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रहे हैं।

सूचना नपावेके कारणसे हानि-नोक्सानी भयेक्षतिपूर्ति पावैक व्यवस्था नागरिकसे माग किहे सूचना नपावैके कारण अपनेकै हानी-नुक्सानी भवाहै तौ ओकर विवरण औ प्रमाणसहित सहित राष्ट्रिय सूचना आयोगमें क्षतिपूर्तिके खातिर निवेदन दैसका जात है। आयोग अइसन निवेदन प्राप्त करैकेबाद भये हानि-नोक्सानीकै विचार कैकय मुनासिब माफिककै क्षतिपूर्ति भराय सकत है। यमहा आयोगकै देवायसकैवाले क्षतिकै सीमा नाही तोका है।

तसर्थ, नागरिक अपनेक पहुचे क्षतिकै अधिकतम् दावा कै सकैक देखात है। तथापि, नागरिककै यहिसम्बन्धी समुचित प्रमाण संलग्न कैकय या उचित आधार खोलाइकै मुनासिब माफिककै क्षतिपूर्तिके खातिर मागदावासहितकै निवेदन देयक परी।

लकिन, अइसन क्षतिपूर्तिके दावीकै खातिर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसे तोकेगये सात दिनके भितरमें सूचना उपलब्ध नकरायेपर या सूचना देयसे इन्कार किहा पत्र जारी किहेपर या आंशिक या गलत सूचना दिहेके मितिसे तीन महिनाभितर अइसन क्षतिपूर्ति माग दावीकै निवेदन दै देयक परी।

सूचना माग करतकै दस्तुर लागत है?

नागरिक सूचना माग कैकय सूचना अधिकारीका निवेदन देंतकै, कार्यालय प्रमुखका उजुरी करतकै औ राष्ट्रिय सूचना आयोगमें पुनरावेदन करतकै निवेदनके साथे डाकटिकट नाय टासैक परत है औ कौनो भी प्रकारकै दस्तुर भी नाय तिरैक परत है। लकिन सार्वजनिक निकायसे सूचना प्राप्त करत कै दस्तुर तिरैक कानूनी व्यवस्था है। जबनेकै व्यवस्था निम्नानुसार है :

- सूचनामागै कै निवेदन निःशुल्क दर्ता कैकय निस्सा देयक/लेयक परत है।
- निवेदनमैं डाकटिकट नाय टासैक परत है औ निवेदन बापत कौनो शुल्क भी नाय बुझावैक परत है।
- पहिले १० पृष्ठकै सूचना निःशुल्क प्राप्त होत है।
- वकरेबाद A4 साइज कै प्रतिपृष्ठ रु. ५/-, A3 साइज कै रु. १०/-, डिस्केट या सिडीमें सूचना लेतकै प्रतिसिडी या डिस्केटबापत रु. ५०/- औ सूचनाकै अध्ययन/अवलोकनकै पहिला आधा घण्टा निःशुल्क, वकरेबादकै प्रतिव्यक्ति एक घण्टाकै रु. ५०/-दस्तुर तिरैक परत है।
- यकरे अलावा अन्य दस्तुरके हकमें लागे खर्च अनुरूप दस्तुर तिरैक परैक कानूनी व्यवस्था है। यहि विषयमें नागरिककै भी सजग होयकै चाही कैयौ सूचना मागकर्ता नागरिक कानूनमें रहे अइसन प्रावधान बुभिकै निःशुल्क सूचना हासिल करे है।

कुछ सूचना पावैम बाध्य नाई कैसका जात है

संविधानके धारा २७ से सूचनाकै हककै व्यवस्था किहाहै औ वहि अनुरूप सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐन जारी भवा औ संविधानके धारा २८ से गोपनीयताकै हककै व्यवस्था किहाहै औ गोपनीयताकै हकसम्बन्धी कानून जारी भयेके विषयमें तौ आमनागरिककै ध्यानमें राखैक परा । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमें सूचनाकै हक औ गोपनीयताकै हकका सन्तुलितढङ्गसे उपयोग करैक परत है । प्रस्तुत सन्दर्भमें सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐनकै दफा ३ में पाँच प्रकारकै सूचना प्रवाहमें सार्वजनिक निकाय बाध्य नहोयकै व्यवस्था है ।

लकिन, आमनागरिकका अपनेकै आवश्यक परेपर सूचना माग करैक चाही । नागरिकसे माग किहेगये सूचना कानूनबमोजिम देयक नमिलैवाला होय कि नायहोय यी देखैक जिम्मा सार्वजनिक निकायके पदाधिकारीकै होय तौ यहिवारेमें निर्णय करैवाला निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोग होय । यदि नागरिकसे माग किहेगये सूचना कानूनबमोजिम देयक नमिलैवाला होय तौ ऊ सूचना कानूनबमोजिम केतने समयके खातिर संरक्षण करैक वर्गीकरण किहा गै है यकर जानकारी देयक दायित्व सार्वजनिक निकायकै होय ।

तसर्थ, आमनागरिककै पहिले- अपनेसे सम्बधित व्यक्तिगत सरोकारके विषयकै सूचना माग करैक चाही । दुसर- सार्वजनिक सरोकारके विषयमें सूचना माग कैकय सार्वजनिक निकायका गलत काम नकरैकै

खबरदारी कैदेयक चाही। बर्गीकरण किहेगये सूचना भी पावैक चाहीं यी मागदाबीसहित नागरिक आयोगमें पुनरावेदन करेपर आयोग सूचना देव कहिकै आदेश कइसकैक व्यवस्था है।

सूचनाकै बर्गीकरण कै मतलब का होय ?

- नेपाल सरकार सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐनके दफा ३ कै उपदफा (३) कै प्रकरण (क) से (ड) तक उल्लेख किहेगये विषयकै सूचना समावेश कैकय वहि प्रकारकै सूचना अधिकतम् ३० वर्षतक संरक्षण कैकय राखि सकैक कानूनी प्रावधान है। यहिकै सूचनाकै बर्गीकरण कहत है।
- अइसन, सूचनाकै बर्गीकरणकै व्यवस्था सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐनके दफा २७ में उल्लेख किहा है।
- बर्गीकरण समिति अबहिनतक तीनबार सूचनाकै बर्गीकरण किहिस फिरभी कार्यान्वयन नाई होइसका है। तसर्थ, हाल सूचनाकै बर्गीकरण नहोयकै अवस्था है।

व्यक्तिगत सरोकारकै सूचना कैसन मेर होय ?

आमनागरिक नितान्त अपनेसें सम्बन्धित सरोकारके विषयमें भी सूचना मागैक र पायसकैक संवैधानिक औ कानूनी व्यवस्था है।

अब प्रश्न उठि सकत है कि व्यक्तिगत सरोकारकै सूचना कै मतलब कैसन प्रकारकै होय ?

नितान्त खाली अपनेसे सम्बन्धित सूचनाका हमरे संविधान औ कानुनमे व्यक्तिगत प्रकारकै सूचना कहिकै परिभाषित करे है। उदाहरणके खातिर केहुकै शैक्षिक योग्यताकै प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, अपने नाममें रहा जग्गा, जमिन, घर, सोना, चाँदी, जवाहरात, बैंक खातामें या घरमें रहे नगद, स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोट, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र या कौनो सार्वजनिक निकायमें रहा यहि प्रकारकै तथ्य, तथ्याइङ्कसम्बन्धी जानकारी या विवरणकै व्यक्तिगत सरोकारकै विषयकै सूचना माना जात है। अइसन बिषयसे सम्बन्धित बिवरण, जानकारी या सूचना सम्बन्धित व्यक्ति या निजके अनुमतिबेगर आउरकेहु प्राप्त कैसकैक प्रावधान कानूनमें नाही है। अइसन सूचना असम्बन्धित व्यक्ति जे-केहुके मागेपरभी सम्बन्धित व्यक्ति या निजके अनुमतिबेगर सार्वजनिक निकाय प्रवाह नाही कैसकत है। लकिन, अपनेसे सम्बन्धित विषयमें तौ अइसन सूचना अपन्ही माग कैसका औ प्राप्त कैसका जात है।

सार्वजनिक सरोकारकै सूचना कैसन प्रकारकै होय ?

सार्वजनिक निकायमें रहे सबके सरोकारकै विषयके बारेकै तथ्य, तथ्याइङ्क, जानकारी या विवरण सार्वजनिक सरोकारकै सूचना होय।

अइसन विषयमें सबनेपाली नागरिककै दिलचस्पी राखिकै सूचना माग करै औ प्राप्त कैसकत है। जैसय राष्ट्रपति कार्यालय, से वडा कार्यालयतक, सडकराहि, पुल्हपुल्हेसा, नाली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खाद्य सुरक्षा, संसद, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, तीनौ तहकै सरकार औ मातहतकै निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सब राष्ट्रिय औ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/ संस्था, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतमें रहे तमाम विषयके सम्बन्धमें कवनौ भी सार्वजनिक निकायमें जेकेहु नेपाली नागरिक सूचना माग कैसकत है औ प्राप्त कै सकत है।

सचेत नागरिककै कर्तव्य

आमनागरिककै नेपालके संविधान औ कानूनतहत सूचना मागैक औ पावैक हक दिहा है। यी हक विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमें भी उल्लेख किहा है, जेकर नेपाल भी पक्ष राष्ट्र होय।

तसर्थ, व्यक्तिगत सरोकार औ सार्वजनिक मामिला जवने भी विषयसे सम्बन्धित सूचना मागैक औ पावैक हककै अधिकतम् उपयोग करब हरेक सचेत नागरिककै कर्तव्य होय। साथय, सूचना माग करतकै निम्न विषयमें ख्याल पहुचावैक भी जिम्मेदार नागरिककै कर्तव्य होय :

- सूचना माग करतकै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमें स्वयम् उपस्थित होइकै, डाकखाना, फैक्स या ईमेलमार्फत् लिखित निवेदन

दर्ता करावै, बकर निस्सा लेय औ अइसन निवेदनमें संविधान औं कानूनमें उल्लेखित अपने अधिकारकै विषय उल्लेख करैक चाही ।

- लिखित निरक्षर या शारीरिकरूपसे लिखि नसकैवाले नागरिक मौखिकरूपमें भी सूचना माग कैसकत हैं ।
- अइसन सूचना मागकै निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमें अपनहि उपस्थित होइकै, वारिशसे, डाकखाना या कुरियरसे, फैक्स, ईमेल लगायत उपलब्ध माध्यमसे पठावा जायसकत है, बकिर आपन निवेदन सूचना अधिकारी प्राप्त किहेकै प्रमाण सुरक्षित राखैक चाही ।
- सूचना मागैकै उचित प्रयोजन खोलावा होयक चाही । यकरे खातिर अपनेकै आवश्यक परे सरोकारकै विषय, सार्वजनिक मामिलाकै जानकारी, भ्रष्टाचार एवम् अनियमितता नियन्त्रण करैक लगायतकै विषयमें सूचना माग करैक चाही । निवेदनमें कौनेविषयमें का सूचना माग किहा है ऊ संलग्न होयके चाही ।
- सार्वजनिक निकायसे नागरिककै प्राप्त सूचनाकै दुरुपयोग नाय करैक चाही । कानूनमें सूचनाकै दुरुपयोग करैवालेका पाँच हजारसे पच्चीस हजारतक जुर्बाना होयूक व्यवस्था है ।
- जैने भी निकायमें पहिले सूचना अधिकारीका सम्बोधन कैक्य सूचना माग करैक चाही । सूचना अधिकारी न तोकेगयेके अवस्था होयतौ भी सूचना अधिकारीकै ही सम्बोधन कैक्य सूचना माग कैनिवेदन दर्ता करावैक चाही । डाकखाना, फैक्स या ईमेलसे

सूचना माग किहाहै तौ सूचना अधिकारीका ही सम्बोधन कैकय निवेदन पठावैक चाही। निवेदनमें सूचना अधिकारी औ कार्यालय प्रमुखके भी सम्बोधन कै सकाजात है।

- सूचना माग करतकै मागकर्ता नेपाली नागरिक होय ई प्रमाणित होयवाला कवनो कागजात साथमें पेश करैक परत है।
- सूचनाकै प्रतिलिपि माग करैक है या सूचना अध्ययन/अवलोकन करैक है विषयमें एकीन होयक परत है।
- अपने माग किहे विषयकै सूचना दुसर कार्यालयमें है कहिकै सूचना अधिकारी किटान कैकय पत्र दिहेपर सूचना अधिकारी किटान कैदिहे कार्यालयमें उहै प्रक्रिया पूरा कैकय सूचना माग करैक परत है।
- सूचना हासिल करैम कानूनबमोजिमकै दस्तुर जमा करैक सहमत होयक परत है।
- सूचना अधिकारी सूचना नदिहेपर आशिक या अधुरा या गलत सूचना दिहेपर या कौनो जानकारी नदेयके १५ दिन बादके हप्तादिनके भितर उही कार्यालयके प्रमुखसमक्ष उजुरी करैक परत है।
- कार्यालय प्रमुखभी सूचना नदिहेपर पैंतीस दिनके भितर राष्ट्रिय सूचना आयोगमें पुनरावेदन देयक परत है।
- सम्भव भयमें, सूचना वर्गीकरण कैकय संरक्षण किहेगये सूचना

केतने वर्षतककै खातिर संरक्षण किहाँ है यी बुधिकै सूचना माग करैक परत है ।

- सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा २८ अनुसार व्यक्तिगत प्रकृतिकै सूचना तत्त्वत् कार्यालय संरक्षण कैकय राखैसे वहि प्रकृतिकै सूचना माग करैसे पहिले सूचना मागै कै प्रयोजन यकीन होयक परत है ।
- सूचना नदेयवाले पदाधिकारी विरुद्ध दण्डके खातिर राष्ट्रिय सूचना आयोगमें प्रमाणसहित उजुरी करैक परत है ।
- लकिन, असल नियतसे किहे काममें सजा नहोयके नाते सबकै विवेक पहुचावैक परत है ।
- ऐनके दफा ३० बमोजिम कानूनी व्यक्ति भी दफा ७ (१) औ ९ (१) बमोजिम प्रक्रिया पूरा कैकय सूचना माग करै, प्राप्त करै औ प्राप्त नकैसकेपर दफा १० (१) बमोजिम आयोगमें पुनरावेदन कैकय सूचना प्राप्त कै सकत है ।
- कौनो सार्वजनिक निकायमें गलत सूचना अभिलेखबद्ध भयेकै जानकारी भयेपरं ऊ सूचना सचियायकै राखैक निवेदन देयक परत है ।
- आमनागरिक आपन या सार्वजनिक सरोकारके विषयकै सूचना माग कैकय गलत क्रियाकलाप रोकैक औ सामाजिक रूपान्तरणके खातिर काम करैक परत है ।

- लकिन, केहुकै दुःख देयके नियतसे सूचना माग नाय करैक चाही। यी विषय कानूनमें लिखें नायहै फिरभी यहि विषयमें आमनागरिक स्वयम् जिम्मेदार होयक परत है।
- सूचनाके हकका विश्वभरमें पारदर्शिताके खातिर अचूक औजार मानाजात है। तसर्थ, सूचना मागकर्ता भी अपने कामकै पारदर्शितासहित सदाचारिता प्रकट करब नागरिककै कर्तव्य होय ई बाति भुलायक नाय चाहीं।
- सूचना देय-लेयूक संस्कृतिकै विकास कराजाय। लोकतन्त्रकै आधार : सूचनाकै अधिकारका सबलोग मन, वचन औ कर्मसें कार्यान्वयन कराजाय।

सूचना माग करैक निवेदनकै ढाँचा

(कानूनमे निवेदनकै ढाँचा नाय तोका है, तसर्थ यो ढाँचा खाली सहजताके खातिर होय)
श्री सूचना अधिकारीजी,

.....। (सार्वजनिक निकायकै नांव औ पता)

विषय : सूचना उपलब्ध कराय पाई।

उपर्युक्त विषयमें हम/हमरे यहि कार्यालयमें रहे हमार/हम्मनकै सार्वजनिक सरोकारकै तपसिलबमोजिमकै सूचना..... प्रयोजनके खातिर आवश्यक परै केनाते नेपालकै संविधानकै धारा २७ औ सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ७ कै उपदफा (१) बमोजिम यी निवेदन पेश किहे हन/करा गै है।

तपसिल

१.....
२.....

संलग्न कागजात

नेपाली नागरिक होयकै प्रमाण देखायवाला कागजकै प्रतिलिपी

निवेदक

नांव :

पता :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत्साल.....महिना.....गते रोज.....शुभम् ।

कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेश करैवाले उजुरीकै ढाँचा

(कानूनमे निवेदनकै ढाँचा नाय तोका है, तसर्थ यो ढाँचा खाली सहजताके खातिर होय)

श्री कार्यालय प्रमुखजी,

.....। (सार्वजनिक निकायकै नांव औ पता)

विषय : सूचना उपलब्ध नकराये/सूचना देयमें अस्वीकार करे/आंशिकरूपमें सूचना उपलब्ध कराये/गलत सूचना दिहे सूचना अधिकारीका कारवाई कैक्य सूचना उपलब्ध कराय पायी।

उपर्युक्त विषयमे हम/हमरे यहि कार्यालयकै सूचना अधिकारीका सम्बोधन कैक्य मितिमें हमरें/हम्मनकै सार्वजनिक सरोकारकै तपसिल उल्लेखित सूचना माग किहेपरभी सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ७ के उपदफा (२) में उल्लेखित अवधिके भितर सूचना उपलब्ध नकराये/सूचना दिन अस्वीकार करैके/आंशिकरूपमें सूचना उपलब्ध करायेके/गलत सूचना देयके नाते सूचनाकै हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ९ के उपदफा (१) बमोजिम यी उजुरी पेश करे हन/करागै है।

अतः सूचना उपलब्ध नकरावैवाले/सूचना देयसे अस्वीकार करैवाले/आंशिक सूचना उपलब्ध करावैवाले औ गलत सूचना देयवाले सूचना अधिकारीका दफा ९ के उपदफा (३) बमोजिम कारवाही कैक्य उपदफा (२) बमोजिम सूचना उपलब्ध कराय पायी।

तपसिल

१.....

२.....

उजुरीकर्ता :

नांव :

पता :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत् साल..... महिना..... गते रोज..... शुभम् ।

श्री राष्ट्रीय सूचना आयोगमें देयवाले पुनरावेदनकै ढाँचा

मार्फत्..... कार्यालय

.....|

..... उजुरीकर्ता

विरुद्ध

..... विपक्षी

विषय : मागबमोजिकै सूचना उपलब्ध कराय पाई ।

..... निकायकै प्रमुख श्री मिति में
हम/हम्मनकै विषयकै सूचना दियक नमिलैक
निर्णय किहेगयेके नाते देहायके कारण औ आधारपर हमरे/हम्मनकै वहि निर्णयमें चित्त
नबुझैके नाते ऐनकै म्याद पैतीस दिनके भितर दफा १० (१) बमोजिम यी पुनरावेदन
करित हन/कराजात है ।

(क)

(ख) उपर
लिखो व्योरा ठीक सच्चा हाये, भुठ ठहरेपर कानूनबमोजिम सहब बुझाइब ।

संलग्न कागजात

(क) सार्वजनिक निकायके प्रमुखद्वारा किहे निर्णयकै प्रतिलिपि

(ख) सूचना अधिकारीसमक्ष पेशगरेको निवेदनको प्रतिलिपि

(ग) नेपाली नागरिक होयकै प्रमाण देखायवाले कागजकै प्रतिलिपि

पुनरावेदककै दस्तखत :

नांव :

पता :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत् साल महिना गते रोज शुभम् ।

 /rtinepal

 /suchanaayog

